बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 234984 पटना, दिनांक 12/06/2015

ग्रा0वि0- 8(21)-09/2013

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय :- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक् में दिये गये निदेश के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12.06.2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निदेश दिया गया है कि आगामी संभावित सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए मनरेगा अंतर्गत अधिकतम मानव दिवस सृजित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त Advisory में अंकित सुखारोधी योजना अविलम्ब प्रारंभ कराया जाय।

विदित है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या-1017/40/2011-MGNREGA(UN)-Part-III दिनांक-08.05.2015 आपको पूर्व में भी प्रेषित की गई है ।

सुखारोधी योजनाओं के कार्यान्वयन से न सिर्फ अल्प वर्षा की स्थिति में कृषि कार्य हेतु जल का संचयन किया जा सकेगा अपितु संभावित सुखाड़ के फलस्वरूप मजदूरों के संभावित पलायन के उपर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सकेगी ।

2. विभागीय पत्रांक- 234463 दिनांक-09.06.2015 के द्वारा पंचायत रोजगार सेवक के हड़ताल को समाप्त करने हेतु कतिपय निदेश निर्गत किये गये थे । जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, बेगूसराय द्वारा इस क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हड़ताली पंचायत रोजगार सेवकों को तीन दिनों के अन्दर काम पर वापस आने का निदेश निर्गत किया गया है अन्यथा यह चेतावनी भी दी गई है कि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । आप सभी से अपेक्षा है की बेगूसराय में किये गये कार्रवाई के तर्ज पर आपने अपने जिले में कार्रवाई की होगी और मनरेगा अंतर्गत कार्य सुचारू ढ़ंग से कार्य प्रारंभ हुआ होगा ।

3. उपर्युक्त विषयांकित पत्र में हड़ताली रोजगार सेवक के काम पर नहीं आने के स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था यथा पंचायत सचिव, ग्रामीण आवास सहायक, जीविका के स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत तकनीकी सहायक आदि के माध्यम से कार्य कराने का निदेश दिया गया था । आशा है कि उपर्युक्त निदेश के अनुरूप नई व्यवस्था स्थापित करते हुए मनरेगा अंतर्गत वृहत रूप से कार्य प्रारंभ करवा दिया गया होगा ।

उपर्युक्त के परिणामों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव ने जिलावार सृजित मानव दिवस, सुखारोधी श्रेणी में ली गई योजनाओं की संख्या एवं व्यय की गई राशि का सप्ताहिक प्रतिवेदन की मांग की गई है । इस क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रतिदिन मनरेगा में कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जा रही है तथा सभी उप विकास आयुक्तों के साथ विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी ।

अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक- 234463 दिनांक-09.06.2015 के द्वारा हड़ताल को समाप्त कराने एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम करवाने, प्रारंभ की गई सुखारोधी योजनाओं यथा जल संरक्षण एवं जल संचयन की योजना, पारंपरिक जल निकायों का पुनर्द्धार, सुखारोधी योजना यथा वृक्षारोपण, सूक्ष्म सिंचाई की योजनाओं से संबंधित मानव दिवस सृजन, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रतिवेदन एवं हठी हड़ताली कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन ई-मेल के माध्यम से प्रतिदिन विभाग को उप विकास आयुक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार 12.6.15

(प्रदीप कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 234984 पटना, दिनांक 12/06/2015

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार 12.6.15

सरकार के सचिव